

प्रेस नोट थाना गोला जनपद गोरखपुर दिनांक 16.12.2025

कूटरचित दस्तावेजों द्वारा धोखाधड़ी करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोला के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गोला के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 548/2023 धारा 420,467,468,471,120बी भा0द0सं0 से सम्बन्धित अभियुक्ता रोजी पत्नी आजाद निवासी भटौली बाजार थाना बाँसगाँव/हा0मु0 कस्बा गोला बड़ी मस्जिद के पास थाना गोला जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्ता द्वारा बैंक से लोन लेकर कूटरचित मृत प्रमाण पत्र बनवाकर लोन की किस्तों को जमा नहीं किया गया तथा पूर्व में जमा की गयी किस्तों को अवैध रूप से धोखाधड़ी कर डेथ पे एमाउण्ट के रूप में बैंक से ले लिया गया। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

रोजी पत्नी आजाद निवासी भटौली बाजार थाना बाँसगाँव/हा0मु0 कस्बा गोला बड़ी मस्जिद के पास थाना गोला जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 548/2023 धारा 420,467,468,471,120बी भा0द0सं0 थाना गोला जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक राहुल शुक्ल थाना गोला जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 देवेन्द्र सिंह यादव थाना गोला जनपद गोरखपुर
3. म0उ0नि0 प्रियंका मौर्या थाना गोला जनपद गोरखपुर
4. का0 मनीष कुमार थाना गोला जनपद गोरखपुर